संख्या– 477/71–4–2020–15/2018 टी0सी0

प्रेषक,

अनिल कुमार सिंह,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा मे,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–4 लखनऊ : दिनांक 04 मई, 2020

विषयः–नीट पी0जी0 2020 के माध्यम से चयनित अभ्यर्थियों के शैक्षणिक सत्र 2020–21 में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों एम0डी0/एम0एस0/डिप्लोमा/एम0डी0एस0 में प्रवेश हेतु दिशा–निर्देश में संशोधन

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–एम0ई0–3/2020/727, दिनांक 25.04.2020 का कृपया सदंर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2– उक्त सदंर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नीट पी0जी0 2020 की काउन्सिलिंग से संबंधित दिशा–निर्देश विषयक शासनादेश संख्या–329/71–4–2020–15/2018 टी0सी0, दिनांक 12 मार्च, 2020 में वर्णित दिशा–निर्देशों के अतिरिक्त निम्नवत् दिशा–निर्देश निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृत प्रदान करते हैः–

यदि अभ्यर्थी शैक्षणिक सत्र 2020–21 की प्रथम काउन्सिलिंग से आवंटित होकर प्रदेश के किसी भी मेडिकल/डेण्टल की सीट पर प्रवेश प्राप्त कर लेता है तत्पश्चात्:–

(I) अभ्यर्थी आल इण्डिया या अन्य प्रदेश की काउन्सिलिंग के माध्यम से किसी अन्य पर आवंटन प्राप्त करता है और वह प्रदेश की प्रथम काउन्सिलिंग से प्रवेशित सीट से त्यागपत्र देना चाहता है (त्यागपत्र के समय अन्य काउन्सिलिंग से आवंटन का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा) तो ऐसे अभ्यर्थी द्वितीय काउन्सिलिंग की च्वाईस फिलिंग से दो दिन पूर्व (उदाहारणार्थ यदि द्वितीय चक्र की काउन्सिलिंग 15 मई, 2020 से प्रारम्भ होनी है, तो अभ्यर्थी 12 मई, 2020 को सायं 4.00 बजे तक) अपनी सीट से त्यागपत्र दे सकता है ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी द्वारा जमा की गयी सिक्योरिटी धनराशि तथा शिक्षण शुल्क से निम्नानुसार कटौती करते हुए वापस किया जाएगाः–

- राजकीय क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेजों में प्रवेशित अभ्यर्थियों की जमा समस्त शुल्क से 10 प्रतिशत की कटौती करते हुए शेष धनराशि तथा धरोहर धनराशि (Security Money) वापस देय होगी।
- निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेजों में प्रवेशित अभ्यर्थियों की जमा शिक्षण शुल्क से 10 प्रतिशत की कटौती करते हुए शेष धनराशि तथा धरोहर धनराशि (Security Money) वापस देय होगी।

(II) प्रथम चक्र की काउन्सिलिंग से आवंटन के पश्चात यदि अभ्यर्थी द्वारा आवंटित कालेज में प्रवेश ले लिया जाता है तथा अभ्यर्थी को आल इण्डिया/अन्य प्रदेश की

काउन्सिलिंग से कोई भी आवंटन प्राप्त नहीं होता है, फिर भी अभ्यर्थी निर्धारित तिथि (द्वितीय चक्र की च्वाईस फिलिंग से दो दिन पहले) से पूर्व त्याग पत्र देता है तो ऐसी दशा में जमा की धरोहर धनराशि (Security Money) जब्त कर ली जायेगी तथा शिक्षण शुल्क में से 50 प्रतिशत की कटौती करते हुए शेष धनराशि वापस किया जाएगा:—

यदि अभ्यर्थी के द्वारा निर्धारित तिथि के पश्चात त्याग पत्र दिया जाता है तो ऐसी दशा में जमा की गयी धरोहर धनराशि (Security Money) व शिक्षण शुल्क जब्त कर लिया जायेगा।

3— उक्त के अतिरिक्त शासनादेश संख्या—329/71—4— 2020—15/2018 टी0सी0, दिनांक 12 मार्च, 2020 में उल्लिखित शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अनिल कुमार सिंह)
उप सचिव।

संख्या—477(1)/71—4—2019—तद्दिनांक—

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. सचिव, मेडिकल काउन्सिल ऑफ इण्डिया/डेण्टल काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली।
2. कुलपति, उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा।
3. कुलसचिव, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ0प्र0 लखनऊ।
4. निदेशक, एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ।
5. निदेशक, डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ।
6. प्रमुख स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
7. निदेशक, एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ।
8. समस्त प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, उ0प्र0 द्वारा महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
9. समस्त प्रबन्धक/प्रधानाचार्य, निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेज/विश्वविद्यालय, अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय उ0प्र0 द्वारा महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
10. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
11. निजी सचिव, मा0 चिकित्सा शिक्षा मंत्री/मा0 राज्य मंत्री, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

/

(अनिल कुमार सिंह)
उप सचिव।